सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 411/17 निर्णय दिनांकः– **26.2.2018**

1. राजे खॉ पुत्र मेहरअली जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–06–2011
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मु.बज्जू के आदेश दिनांक 22–06–2011 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने समान वरियता में दर कम होने के कारण खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन‸ इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियमत्र 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत के चक 21 बी.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 66/61 को विशेष आवंटन हेतु आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा समान वरियता में दर कम रहने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—06—2011 के विरूद्व अपील दिनांक 02—11—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—06—2011 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 10 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 66/61 के आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से कम भूमि का शपथ पत्र, निर्वाचन सूची आदि प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के अलावा अन्य आवेदकों द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को समान वरियता के कारण प्राप्त तमाम प्रार्थना पत्रों की जाचॅ की गई व वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने पर वादगत् भूमि के आवंटन के पात्र आवेदकों से वादगत् भूमि के आवंटन हेतु दर प्राप्त की गई। चूंकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त दर अन्य आवेदकों की तुलना में कम रहने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। चूंकि विशेष आवंटन के तहत प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में अधिक दर वाले आवेदक व तमाम सबतों की जॉच के उपरान्त ही आवंटन किया जाना होता है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की दर कम रहने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मु. बज्जू का आदेश दिनांक 22–06–2011 बहाल रखा जता है।

8 निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

^ डॉ0 राकेश कुमार शर्मा^
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर